Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to amend the Cigerettes and other Tobacco Products Act, 2003.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सभापति जी, तम्बाकू का प्रयोग मुत्यु के छ: से आठ कारणों में से एक प्रमुख जोखिम कारक है और लगभग 40 प्रतिशत गैर-संचारी रोग (एनसीडी) जिसमें कैंसर, कार्डियो-वैस्कुलर रोग और फेफड़े के विकार तम्बाकू के उपयोग के लिए जिम्मेदार है । जैसे कि भारत में तम्बाकू के सेवन के कारण मृत्यु दर और रुग्णता का परिणाम बहुत अधिक है । भारत में हर साल 13.5 लाख व्यक्तियों की मृत्यु तम्बाकू के कारण होती है । तम्बाकू उत्पादों के पैकेज पर 85 प्रतिशत ग्राफिक स्वास्थ्य चेतावनियों को पेश करके सार्वजनिक स्वास्थ्य और विशेष रूप से तम्बाकू नियंत्रण में सुधार करने का आपका प्रयास बेहद सराहनीय है । जबकि अब सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से ई-सिगरेट पर भी पाबन्दी लगा दी है ।

केन्द्रीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम अर्थात सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का निषेध) अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए), अधिनियम तम्बाकू उत्पादों के उपयोग या खपत को हतोत्साहित करने और सामान्य रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से लागू किया गया था । हालांकि यह मुख्य रूप से अधिनियम में कुछ अंतराल के कारण अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा है । इस संबंध में मैं आपका ध्यान निम्नलिखित बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं:

सीओटीपीए, 2003 वर्तमान में नामित सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण के रूप में कुछ सार्वजनिक स्थानों (रेस्तरां, होटल और हवाई अड्डे) में धूम्रपान करने की अनुमति देता है जबकि इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए ।

बिक्री के बिंदु पर तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन और प्रदर्शन पर व्यापक रूप से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए ।

सीओटीपीए में एकल सिगरेट या तम्बाकू उत्पादों के स्वाद की बिक्री का कोई प्रावधान नहीं है, जो युवाओं के तम्बाकू उपयोग के लिए आकर्षित होने का मुख्य कारण है ।

अधिनियम के तहत अपराध के लिए जुर्माना भी एक निवारक के रूप में कार्य करने के लिए अपर्याप्त है ।

तम्बाकू उत्पादों के उपभोग की कानूनी उम्र को मौजूदा 18 साल से बढ़ाकर 21 साल किया जाना चाहिए ।

अत: सरकार से अनुरोध है कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में अतिशीघ्र सीओटीपीए 2003 के संशोधन करने हेतु विधेयक पेश करने के प्रस्ताव पर विचार करे ।